संख्या-236/22-4-2010-48(32)/02

प्रेषक,

सत्य प्रकाश पंखा,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊःदिनांक-28 फरवरी,2010

विषयः- आदर्श कारागार लखनऊ में स्थापित मसाला पिसाई उद्योग के लिए साबुत हल्दी एवं साबुत लाल मिर्च का क्रय हेतु अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की बैठक दिनांक-10.7.2009 में की गयी संस्तुतियों एवं उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-21964/उद्योग-6/43/09 दिनांक-30.07.2009 एवं पत्र संख्या-21965/उद्योग-6/43/09 दिनांक-30.07.2009 में किए गए प्रस्तावों के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आदर्श कारागार लखनऊ में स्थापित मसाला पिसाई उद्योग के लिए साबुत हल्दी एवं साबुत लाल मिर्च का क्रय हेतु कुल रु0-40,99,875.00 (रूपये चालीस लाख निन्यानवें हजार आठ सौ पिचहत्तर मात्र) का अनुमोदन निम्नवत् दिया जाता हैः-

क्र.	सामग्री का नाम	मात्रा (कुन्तल में)	विशिष्टि	स्वीकृत दर प्रति कुन्तल (कर एवं मालाभाड़ा सहित एफ0ओ0आर0 जेल गेट)	फर्म का नाम	कुल मूल्य (रूपये में)
1	साबुत हल्दी	294.95	बन्डा	8406.50	मै0 रामपाल सिंह कान्ट्रेक्टर, इटावा	24,79,497.00
2	साबुत लालमिर्च	147.48	गन्टूर/ निजामाबाद	10987.10	मै0ओ0पी0ट्रेडर्स, फतेहगढ़	16,20,378.00
	योग					40,99,875.00

2- उक्त क्रयानुमोदन निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिया जा रहा हैः-

(क) प्रश्नगत क्रय शासन की क्रय नीति, सामग्री क्रय नियमों/विनियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सम्बन्धित शासनादेशों यथा शासनादेश संख्या-2177/एल/18-7-94-15(एस.पी.)/82 दिनांक-17 अक्टूबर, 1994 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(ख) क्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, न्यूनतम मूल्य दर, समयबद्ध आपूर्ति और उसका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,उ0प्र0 का होगा।

(ग) उपर्युक्त सामग्री की आपूर्ति संबंधित फर्मो द्वारा 01 माह की अवधि के अन्तर्गत की जायेगी तथा उक्त अवधि में फर्म द्वारा कम दरों पर अन्यत्र आपूर्ति किए

PTO

जाने की दशा में प्रश्नगत क्रय हेतु फर्म को कम दरों पर ही भुगतान किय जायेगा और आपूर्तिकर्ता फर्मो एवं महानिरीक्षक, कारागार के मध्य क्रय से नियमानुसार सम्यक् अनुबन्ध किया जायेगा।

(घ) प्रश्नगत क्रय से संबंधित संविदा/अनुबन्ध की प्रतिलिपि सीनियर आडिट अ (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम,उ0प्र0 थान रोड इलाहाबाद 211001 को अनिवार्य रूप से करायी जायेगी।

(ङ) क्रय की गयी सामग्री के भण्डार एवं उपयोग की समुचित व्यवस्था महानि कारागार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ताकि भण्डार की गयी सामग्री की क बचा जा सके और यदि सामग्री के भण्डारण की समुचित व्यवस्था नहीं यथा आवश्यकता किश्तों में आपूर्ति प्राप्त की जायेगी और तदनुसार कि आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया जायेगा। किन्तु अन्तिम भुगतान तक क्रया रु0-40,99,875.00 (रूपये चालीस लाख निन्यानवें हजार आठ सौ पि मात्र) की सीमा तक संगत मद 31-सामग्री सम्पूर्ति में धनराशि संरक्षित जायेगी।

(च) क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने पर महानिरीक्षक, कारागार द्वारा इसकी सूचना को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय 2009-10 के आय-व्ययक की संगत मद में उपलब्ध बजट प्रावधान, जो स्वीकृत कर आ निवर्तन पर रखा है, को प्रश्नगत क्रय पर होने वाले व्यय वहन हेतु प्रश्नगत क्रयानुमो रु0-40,99,875.00 (रूपये चालीस लाख निन्यानवें हजार आठ सौ पिचहत्तर मात्र) की तक आहरण/व्यय की अनुमति भी एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।

संख्या-236(1)/22-4-2010-तद् दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम,उ.प्र.,इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- सीनियर आडिट आफीसर, आडिट प्लानिंग कार्यालय महालेखाकार (लेखा प्रथम उ0प्र0 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद
4- उद्योग निदेशक, उ0प्र0 कानपुर।
5- लघु उद्योग अनुभाग-5
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(सत्य प्रकाश
अनु सचिव।